मुख्यमंत्री ने राज्य में सब्सिडी वाले पेट्रोल के लिये ऐप लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

19 जनवरी, 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके दो-पहिया वाहन के लिये 'पेट्रोल सब्सिडी योजना' के तहत निबंधन हेतु **CMSUPPORTS** ऐप लॉन्च किया। अब ऐप या **http://jsfss.jharkhand.gov.in** पर रजिस्ट्रेशन कर राशन कार्डधारक योजना का लाभ ले सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- डीबीटी के माध्यम से मुख्यमंत्री 26 जनवरी, 2022 को दुमका से योजना का शुभारंभ कर योजना के पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे।
- 26 जनवरी, 2022 से योजना के माध्यम से राशन कार्ड से आच्छादित हितग्राहियों को अपने दो-पहिया वाहन के लिये प्रतिमाह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल हेतु प्रतिलीटर 25 रुपए की सब्सिडी, यानी 250 रुपए प्रतिमाह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी।
- योजना की पात्रता मानदंड में शामिल हैं -
  - आवेदक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम का राशन कार्ड धारक होना चाहिये।
  - राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के सत्यापित आधार नंबर का उल्लेख होना चाहिये।
  - आवेदक के आधार से जुड़ा बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिये।
  - आवेदक के वाहन का पंजीकरण आवेदक के नाम पर होना चाहिये।
  - आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिये।
  - आवेदक का दोपहिया वाहन झारखंड राज्य में पंजीकृत होना चाहिये।
- **CMSUPPORT** ऐप या **http://jsfss.jharkhand.gov.in** पर जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड और आधार नंबर डालना होगा, जिसके बाद उसके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
- आवेदक का राशन कार्ड नंबर लॉगिन और परिवार के मुखिया के आधार का अंतिम आठ अंकों का पासवर्ड होगा।
- ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक राशन कार्ड में नाम का चयन करते हुए वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेगा। वाहन नंबर डीटीओ के लॉगिन में जाएगा, जिसे डीटीओ वेरिफाई करेगा। सत्यापन के बाद सूची ज़िला आपूर्ति अधिकारी के लॉगिन पर जाएगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cm-launches-app-for-subsidized-petrol-in-the-state